

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(7)न्याय/2006

जयपुर, दिनांक 03/8/16

जिला कलेक्टर
जालोर।


विषय:—श्री अरुण प्रकाश आर्य, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, जालोर को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक: स्थापन्न/2016/4758 दिनांक 25.07.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री अरुण प्रकाश आर्य, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, जालोर का राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन हो गया है। श्री अरुण प्रकाश आर्य को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में दिनांक 04.08.2016 को सायं 3:00 बजे उपस्थित होना है। अतः श्री अरुण प्रकाश आर्य, वरिष्ठ विधि अधिकारी को दिनांक 03.08.2016 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जावे। श्री आर्य का राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर लियन नियमानुसार रहेगा।

भवदीय,


(डॉ. कैलाश चन्द्र अंटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि श्री अरुण प्रकाश आर्य, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, जालोर को सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव